

महिलाओं के विरुद्ध अपराध एक दुःखद पहलू

सारांश

मनुष्य जाति में ईश्वर की अनमोल कृति के रूप में स्त्री को जाना जाता है। समाज निर्माण में उसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पत्नी और माता अपने लिए जैसा आदर्श प्रस्तुत करती है, जिस रूप में वह अपने कर्तव्य और जीवन को समझती है, उसी से समग्र जाति का भाग्य निर्माण होता है। भारतीय समाजिक व्यवस्था में स्त्रियों को सुख, शान्ति, शवित, ज्ञान व सम्पत्ति का प्रतीक माना गया है, परन्तु कालान्तर में स्त्रियों में प्रसिद्धिगत परिवर्तन परिलक्षित होते रहे हैं, उसके साथ सदैव दौयम दर्जे का व्यवहार होता रहा है। महिलाओं के साथ प्राथमिक एवं द्वितीयक सम्बन्धियों द्वारा हिंसात्मक व्यवहार किया जाता रहा है। इस शोध पत्र में महिलाओं के विरुद्ध अपराध, इसके आधार, स्वरूप, कारण, तथ्यात्मक आंकड़ों तथा महिलाओं के विरुद्ध अपराध को कम करने हेतु सुझावों को प्रस्तुत किया गया है। इसके लिए पूर्व में किए गए अध्ययनों, सेमीनारों के सारांश, पत्र-पत्रिकाओं तथा अन्य द्वितीयक स्रोतों को प्रयुक्त किया गया है।

मुख्य शब्द : अपराध, महिलाओं के विरुद्ध अपराध, हिंसा, पितृसत्ता, पर्दा-प्रथा, सती-प्रथा, डायन-प्रथा, विधवा पूनर्विवाह निषेध, दहेज, बलात्कार, अनैतिक व्यापार, आत्महत्या, मादक दृव्य पदार्थ।

प्रस्तावना

मनुष्य सामाजिक संरचना की एक इकाई ही नहीं है। मनुष्य अपनी आवश्यकता पूर्ति हेतु एक दूसरे के सम्पर्क में आता हैं इनसे परस्पर अन्तःक्रिया होती है, सम्बन्ध बनते हैं, धीरे-धीरे सम्बन्धों का जाल बनता है तथा समाज का निर्माण होता है। इस समाज में अनेक जाति, वर्ग, समुदाय आदि भी बनते हैं। समाज जातियों समुदायों का महज एक संयोग मात्र नहीं है और न ही राष्ट्र के धरातल पर खींचा हुआ एक मानचित्र है जिसका एक हिस्सा विकृत हो जाये तो बाकी साबुत रहेगा। मनुष्य इस संसार में धरती पर एक ईश्वरीय चेतना का प्रतिनिधित्व करता है वह प्रेम, दया का ही नहीं वरन् हिंसा, प्रताड़ना आदि का भी एक रूप है। मनुष्य अपने इस रूप को अपने सामाजिक जीवन में प्रदर्शित करता है मनुष्य का यह रूप वैवाहिक सम्बन्धों के अन्तरात्म भाग को खण्डित करता है। वह अपनी जीवन संगिनी को प्रताड़ित करता है, प्रताड़ित करने वाला मनुष्य कभी अपने स्वयं के द्वारा किये गये अपराध के लिये दुख प्रकट करता, क्षमा मांगता है तो कभी अपनी प्रताड़ना में और अधिक वृद्धि करता है। मनुष्य की वह जीवन संगिनी इन सभी परिस्थितियों के बीच तब तक सहन करती है जब तक कि उसकी आत्मा, क्षमताएं, भावनाएं उसका अस्तित्व, स्वाभिमान पूर्ण रूपेण क्षतिग्रस्त न हो जाये। वह इन परिस्थितियों के सही होने की इच्छा रखने की आशा के साथ अपना सम्पूर्ण जीवन व्यतीत कर देती है।

महिलाओं के विरुद्ध हिंसा क्या है?

महिलाओं के साथ निकट सम्बन्धियों माता-पिता, भाई-बहिन, सास-श्वसुर, ननद, भाभी, देवर, ज्येष्ठ, परिवार के अन्य सदस्य, समाज के परिचित या अपरिचित व्यक्तियों द्वारा किया जाना वाला हिंसात्मक व्यवहार महिलाओं के विरुद्ध हिंसा है। इस प्रकार 'ऐसे अपराध जिनकी शिकार केवल महिलाएं ही होती हैं और जो महिलाओं को लक्ष्य बनाकर किए जाते हैं, स्त्रियों के प्रति हिंसा कहलाता है।'¹ अर्थात् महिलाओं के साथ निकट व दूर के सम्बन्धियों तथा समाज के अन्य व्यक्तियों द्वारा किया जाना वाला हिंसात्मक व्यवहार महिलाओं के विरुद्ध हिंसा है। "महिला के प्रति हिंसा के अन्तर्गत बलात्कार, दहेज हत्याएं, पत्नी को यात्नाएं देना, यौनिक हतोत्साहन तथा संचार माध्यम में स्त्री को गलत ढंग से समाहित किया जा सकता है।"²

महिलाओं के विरुद्ध होने वाले यह कृत्य हिंसा या अपराध कोई नवीन घटनाएं नहीं हैं वरन् पुरातन आधार पर देखा जाये तो भारत में इसके उदाहरण देखने को मिलते हैं। रामायण काल में रावण द्वारा सीता का अपहरण, महाभारत



अरविन्द कुमार वर्मा
व्याख्याता
समाजशास्त्र विभाग,
राजकीय कन्या महाविद्यलय,
सीकर, राजस्थान

काल में युद्धिष्ठिर द्वारा अपनी पत्नी द्रौपदी को जुए में दाव पर लगाना तथा दुर्योधन द्वारा कौरवों की भरी सभा में द्रौपदी का चीर हरण महिलाओं के विरुद्ध हिंसा एवं अपराध के उदाहरण हैं। उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी परन्तु काल दर काल महिलाओं की स्थिति बद से बदतर होती चली गई। परम्परागत भारतीय समाज में महिलाओं को अनेक अधिकारों से वंचित किया गया था, उसे सामाजिक और आर्थिक रूप से पूर्ण अधिकार प्राप्त नहीं थे। विधवा महिलाओं की स्थिति तो और भी दुःखदायी थी। स्त्रियों को दहेज के लिये प्रताड़ित करना, आत्महत्या के लिए उकसाना तथा कष्ट देने की सीमा को लाघकर उसकी हत्या तक कर देना आदि सामान्य घटनाएं थी। सतीत्व के नाम पर भी महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता था। आज भी महिलाओं के विरुद्ध अनेक अपराध यथा दहेज, दहेज के लिये प्रताड़ित करना, आत्महत्या के लिए उकसाना, बहला फुसलाकर भगा ले जाना, जबरन शारीरिक सम्बन्ध रथापित करना, वैश्यावृत्ति हेतु प्रेरित करना, बेच देना, शोषण, शारीरिक छेड़छाड़, चिढ़ाना, मारपीट, गाली गलौच आदि महिला अपराध के साक्षात् उदाहरण हैं। इस शोध पत्र का प्रमुख उद्देश्य महिलाओं की इन्हीं समस्याओं की ओर समाज का ध्यान आकर्षित करना एवं तथ्यात्मक अध्ययन करना है।

अध्ययन का उद्देश्य

वर्तमान सामाजिक व्यवस्था में महिलाओं के विरुद्ध अनेक अपराध दहेज, दहेज के लिए प्रताड़ित करना, दहेज हत्या, बहला फुसला कर भगा ले जाना, अपहरण, बेच देना जबरन यौन सम्बन्ध रथापित करना, मारना पीटना, शारीरिक, मानसिक शोषण, वैश्यावृत्ति के लिए प्रेरित करना, मारपीट, गाली गलौच, गलत इशारे से छुना जैसे अपराध देखने को मिलते हैं। शोधार्थी का मूल उद्देश्य महिलाओं की इन्हीं समस्याओं की ओर तथ्यात्मक आधार पर समाज का ध्यान आकर्षित करना है।

महिलाओं के विरुद्ध अपराध के आधार

1. महिलाओं को डराना, धमकाना, गाली गलौच करना, फक्तियां करना, बेइज्जत करना, ताने मारना या कष्टप्रद भावनात्मक व्यवहार।
2. महिलाओं को उन अधिकारों, सुविधाओं एवं तथा संसाधनों से वंचित करना जिस पर उनका अधिकार हो।
3. महिलाओं के साथ किया गया ऐसा कोई भी व्यवहार जो उनके शरीरिक व मानसिक स्वास्थ्य के लिये नुकसानप्रद हो, उन्हें कष्ट पहुंचाता हो साथ ही उसके जीवन के लिये खतरा भी उत्पन्न करता हो।
4. वह क्रिया जिसका उद्देश्य कमजोर पर सत्ता कायम करना हो।
5. यौन सुख प्राप्ति हेतु की गई क्रिया।
6. वह कृत्य जिसका प्रमुख उद्देश्य धन प्राप्ति हो जिसके लिये वह अपनी पत्नि को शारीरिक कष्ट देता हो।
7. ऐसा कोई भी आपत्तिजनक व अनैच्छिक यौन व्यवहार जो महिला को कष्ट प्रदान करता हो अथवा उसके मान सम्मान को क्षति पहुंचाता हो।

वर्तमान सामाजिक व्यवस्था में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है जिसका

उल्लेख टी.वी. रेडियो, प्रतिदिन पत्र पत्रिकाओं में देखने, सुनने व पढ़ने को मिलता है। यह घटनाएं टी.वी. पर देखने, रेडियो पर सुनने या पढ़ने मात्र से ही हमारे शरीर में सिहरन पैदा हो जाती है तो हम अनुमान लगा सकते हैं है कि इससे उस महिला की मनःस्थिति क्या होगी जिसका इस घटना से साक्षात् होता है। प्रताड़ित महिला इस प्रताड़ना को सहन करने का प्रयत्न करती है, पुरुष द्वारा उसे और अत्यधिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है और जब उसकी सहनशक्ति खत्म हो जाती है और तो इसकी परिणति उस महिला द्वारा आत्महत्या के रूप में भी देखने को मिलती है। यदि कोई महिला अपनी इस प्रताड़ना के खिलाफ आवाज भी उठाती है तो सर्वप्रथम परिवार के सदस्य या समाज ही उसे मुंह बंद रखने को कहता है और यदि महिला आवाज उठाती भी है तो उसे आगे कोई विशेष सहयोग नहीं मिलता है। पुलिस व कोर्ट द्वारा भी उसे निराशा ही हाथ लगती है, उससे ऐसे प्रश्न किये जाते हैं जिनका जबाब देना महिला के लिये कष्टप्रद होता है। एक ओर परिवार तो दूसरी ओर समाज और प्रशासनिक व्यवस्था का उसे पूर्ण सहयोग नहीं मिल पाता है इसलिए महिला अपना संपूर्ण जीवन रो-रो कर काट देने के लिये मजबूर हो जाती है या अपनी इहलीला समाप्त कर लेती है। महिलाओं के सन्दर्भ में ऐसे दुःख, दर्द एवं कष्ट को देखकर कवि मैथिलीशरण गुप्त ने कहा कि

“नारी जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी,
आंचल में है दूध और आंखों में पानी।”

महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के कारण

1. स्त्रियां यदि आत्मनिर्भर नहीं होती हैं तो वे पुरुषों पर निर्भर होती हैं जिसके कारण वे सदैव अपने को आर्थिक दृष्टि से असुरक्षित महसूस करती हैं।
2. पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था में पुरुष हमेशा महिला को अपने अधिनस्थ मानता है।
3. पुरुष द्वारा महिला को मात्र यौन सुख प्राप्ति के साधन के रूप में माना जाता है।
4. तनावपूर्ण पारिवारिक व सामाजिक परिस्थितियां महिला के विरुद्ध अपराध का कारण बनती हैं।
5. महिलाओं से दहेज, जबरन वैश्यावृत्ति, शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना के द्वारा धन प्राप्ति की लालसा।
6. महिला को हमेशा अबला के रूप में माना है, कमजोर पर सत्ता का प्रदर्शन समाज की पुरातन परम्परा है।
7. महिलाओं के साथ दौयम दर्ज का व्यवहार।
8. समाज में पर्दा-प्रथा, सती-प्रथा, डायन-प्रथा, विधवा पुनर्विवाह निषेध जैसी कुप्रथाओं का प्रचलन आदि।

भारत में महिलाओं के विरुद्ध अपराध के स्वरूप दहेज

भारतीय सामाजिक व्यवस्था में दहेज एक गंभीर समस्या रही है। दहेज स्त्री के माता-पिता द्वारा स्त्री को यथाशक्ति दिया जाने वाला धन या सम्पत्ति है जिसने कालान्तर में विकृत स्वरूप प्राप्त कर लिया, दहेज के लिये महिला के पति, सास श्वसुर, जेठ-जेठानी, ननद एवं ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा अनेक प्रकार की शारीरिक व मानसिक यातनाएं दी जाती हैं। वह थक हार कर या तो घर छोड़ देती है या आत्महत्या कर अपना जीवन समाप्त

कर लेती है। महिला यदि थोड़ी हिम्मत करती है तो पति या परिवार के लोगों द्वारा उसकी हत्या तक भी कर दी जाती है। “दहेज को लेकर बहुओं को सताए, पीटे और जिन्दा जलाए जाने की वारदातें आम हैं।”² भारत में दहेज के लिये हत्या के आंकड़े प्रतिवर्ष चौंकाने वाले होते हैं। भारत में अपराध 2014 की रिपोर्ट के अनुसार इस अपराध के तहत पंजीकृत मामलों में 2013 की तुलना में 6.2 प्रतिशत की कमी आयी है इस तरह के अधिकतर मामले बिहार में 2203, उत्तर प्रदेश में 2133, कर्नाटक में 1730 तथा झारखण्ड में 1538 दर्ज किये गये हैं।

सारणी— 1(अ)

भारत में 2010–2014 के मध्य दहेज निरोधक अधिनियम के तहत दर्ज मामले

| वर्ष | दहेज निरोधक अधिनियम के तहत दर्ज मामले |
|------|---------------------------------------|
| 2010 | 5182 |
| 2011 | 6619 |
| 2012 | 9038 |
| 2013 | 10709 |
| 2014 | 10050 |

स्रोत—भारत में अपराध, 2014

सारणी— 1(ब)

भारत में 2010–2014 के मध्य दहेज हत्या की स्थिति

| वर्ष | दहेज हत्या |
|------|------------|
| 2010 | 8391 |
| 2011 | 8618 |
| 2012 | 8233 |
| 2013 | 8083 |
| 2014 | 8455 |

स्रोत—भारत में अपराध, 2014

बलात्कार

जब किसी पुरुष के द्वारा किसी महिला के साथ जबरन यौन सम्बंध स्थापित किया जाता है बलात्कार कहलाता है। प्रतिवर्ष बलात्कार की हजारों घटनाएं घटित होती है जबकि इससे भी अधिक घटनाओं का जिक्र सामाजिक लोक लाज के भय से महिलाएं नहीं करती हैं। वे इस घटना को एक बुरा स्वप्न समझकर भुला देना चाहती हैं। कानूनी व प्रशासनिक व्यवस्था इतनी लाचार होती है कि वे चिकित्सा जांच एवं पुलिस व न्यायालय से दूर रहना चाहती हैं। महिलाएं अपने इस दंश को आंख मूँदकर सहन करती हैं। महिला द्वारा की जाने वाली नौकरी के छूट जाने के भय से व संतान के भरण पोषण के लिये से भी वह सब कुछ सहन करती है। भारत में अपराध, 2014 के आंकड़ों के अनुसार बलात्कार की घटनाओं की निम्नलिखित स्थिति देखने को मिलती हैं।

सारणी— 2

भारत में 2010–2014 के मध्य बलात्कार की स्थिति

| वर्ष | बलात्कार |
|------|----------|
| 2010 | 22172 |
| 2011 | 24206 |
| 2012 | 24933 |
| 2013 | 33707 |
| 2014 | 36735 |

स्रोत—भारत में अपराध, 2014

पति या सम्बंधियों द्वारा हिंसा

उत्तर वैदिक काल में स्त्री को देवी तुल्य माना जाता और वह पुरुषों के साथ अध्ययन एवं अनेक कार्य करती है महिला को पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली धार्मिक कार्यों में सहयोग देने वाली अद्वागिनी, धर्म पत्नि, सधर्मचारिणी के नाम से सम्बोधित किया जाता था। वर्तमान समाज में उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। समाज के साथ-साथ परिवार में उसके खिलाफ अपराध देखने को मिलते हैं। वह सब से अधिक अपने परिवार में ही प्रताड़ित होती है। भारत में अपराध, 2014 की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं पर निर्दयता एवं अत्याचार का आंकड़ों 3.4 प्रतिशत बढ़ा है जो कि 2013 में 118866 था ज्यादातर मामले पश्चिम बंगाल में 23278 हैं। इसके पश्चात राजस्थान 1509, उत्तर प्रदेश 10471 आसाम 9626 हैं।

सारणी— 3

भारत में 2010–2014 के मध्य पति या सम्बंधियों द्वारा हिंसा की स्थिति

| वर्ष | पति या सम्बंधियों द्वारा हिंसा |
|------|--------------------------------|
| 2010 | 94041 |
| 2011 | 99135 |
| 2012 | 106527 |
| 2013 | 118866 |
| 2014 | 122877 |

स्रोत—भारत में अपराध, 2014

आत्महत्या के लिये उक्साना

आत्महत्या का तात्पर्य व्यक्ति द्वारा किया गया ऐसा कृत्य जिसमें व्यक्ति जानता है कि उसकी मृत्यु निश्चित है। महिलाओं को इतना अधिक प्रताड़ित किया जाता है कि वे आत्महत्या हेतु मजबूर हो जाती है। हम उन महिलाओं की उस मनोरिथिति को समझ सकते हैं की वह जीवन जीने के बजाय इस प्रताड़िना से इतनी दुखी हो जाती है कि आत्महत्या का चयन कर लेती है और इसके पीछे महिलाओं को परिवार या परिवार से इतर समाज द्वारा उक्साया जाता है। भारत में अपराध 2014 की आंकड़ों के अनुसार 3734 दर 0.6 है। 2014 में पहली बार इस तरह के बारे के आंकड़े एकत्रित किये गये जिनमें अधिकतर 986 मामले महाराष्ट्र 627 तेलंगाना तथा 455 मध्यप्रदेश से हैं।

महिलाओं से अनैतिक व्यापार

महिलाओं के साथ अनैतिक व्यवहार किये जाते रहे हैं, इन्हें जबरन अनैतिक व्यापार वैश्यावृत्ति के लिए बाध्य किया जाता रहा है। यह यौन सन्तुष्टि का एक विकृत साधन है। वैश्यावृत्ति एक भेद रहित और धन के लिए स्थापित किया गया अवैध यौन सम्बन्ध है जिसमें भावात्मक उदासीनता होती है।

सारणी— 4

भारत में 2010–2013 के मध्य महिलाओं के अनैतिक व्यापार की स्थिति

| वर्ष | महिलाओं के अनैतिक व्यापार |
|------|---------------------------|
| 2010 | 2499 |
| 2011 | 2438 |
| 2012 | 2563 |
| 2013 | 2569 |

स्रोत—भारत में अपराध, 2014

महिलाओं के विरुद्ध अपराध के कारण

1. मादक दृव्य पदार्थों एवं नशीले पदार्थों का प्रयोग।
2. विकृत मनोवृत्ति।
3. महिला द्वारा चुनौती।
4. पुरुषों पर आर्थिक निर्भरता।
5. अशिक्षा।
6. जीवन साथी के साथ मतभेद
7. पुरुष प्रधान समाज।
8. महिलाओं के प्रति द्वेष की भावना
9. मानसिक विकृति।
10. लाचार कानून एवं प्रशासिक व्यवस्था।
11. पीड़ितों द्वारा भड़काना।

महिलाओं के प्रति अपराध को रोकने हेतु कानूनी उपाय

महिलाओं के प्रति अपराध को रोकने तथा इन्हें प्रभावशाली ढंग से लागू करने हेतु नवीन कानूनों का निर्माण तथा पुरातन कानूनों में समय-समय पर सुधार किया गया है। इन कानूनों को मुख्यतौर पर दो भागों में बांटा गया है।

भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध

1. बलात्कार (सेक्शन 376)
2. बलात्कार करने का प्रयास (सेक्शन 376 / 511)
3. अपहरण एवं जबरदस्ती उठाना या भगाना (सेक्शन 363,364,364अ,366)
 - i. क व अ 363 के अन्तर्गत
 - ii. क व अ हत्या के क्रम में
 - iii. क व अ घूस, रिश्वत
 - iv. क व अ विवाह के लिए मजबूर करना
 - v. क व अ अन्य उद्देश्य
4. दहेज मृत्यु(सेक्शन 340 ब)
5. औरतों पर हमला, अन्याय के लिए आतुर, उसके शील लज्जा के विरुद्ध (सेक्शन 354)
 - i. हिंसात्मक व्यवहार (सेक्शन 354 स)
 - ii. औरतों पर हमला करना उनकी लज्जा के खिलाफ अन्याय पर उतारू होना (सेक्शन 354 स)
 - iii. कामुक सुख प्राप्ति हेतु गुपचुप तांका झांकी करना (सेक्शन 354 द)
6. अन्य
7. लज्जा भावना विनप्रता को अपमानित करना (सेक्शन 509)
 - i. कार्यालय परिसर
 - ii. कार्य स्थल पर
 - iii. लोक परिवहन स्थल पर
 - iv. अन्य स्थल पर

7. पति एवं सम्बन्धियों द्वारा निर्दयता (सेक्शन 498 अ)
8. विदेशों से लड़कियों को आयात करना (21 वर्ष आयु सेक्शन 366 ब)
9. महिला द्वारा आत्महत्या का प्रयास (सेक्शन 306)

स्थानीय व विशेष कानून के अन्तर्गत अपराध

1. दहेज प्रतिबन्धित अधिनियम, 1961
2. अश्लील रिप्रोजेन्टेस प्रतिबन्धित अधिनियम, 1986
3. सती-प्रथा निरोधक अधिनियम, 1987
4. घरेलू हिंसा रोकथाम अधिनियम, 2005
5. अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम, 1956

महिलाओं के प्रति अपराध को रोकने हेतु सुझाव शिक्षा

स्त्रियों का अशिक्षित होना भी उनके खिलाफ होने वाले अपराध में वृद्धि करता है अतः स्त्रियों को शिक्षित किया जाए, उन्हें व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जावें जिससे कि वे आत्म निर्भर बने तथा अपने खिलाफ होने वाले अपराध का पुरजोर विरोध कर सकें।

कानूनी सहायता

क्षतिग्रस्त महिलाओं को कानूनी सहायता प्रदान करने एवं उनके विवादों को निपटाने के लिये स्वयंसेवी संस्थाओं को आगे आकर कार्य करना चाहिये तथा उन्हें उनके आगे के जीवन को ध्यान में रखकर उचित सलाह हेतु मानदर्शन दिया जावे।

आवास की व्यवस्था

क्षतिग्रस्त महिलाओं को रखने हेतु सरकार एवं स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा आवास की व्यवस्था की जाए ताकि शोषण एवं अत्याचार से मुक्ति प्राप्ति हेतु उन्हें एक सुरक्षित स्थाई आवास मिल सके।

आत्म निर्भर बनाने हेतु प्रयत्न

सरकारी एवं गैर सरकारी प्रयासों से क्षतिग्रस्तों हेतु व्यवसाय उपलब्ध करवाकर इन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाए।

दण्ड की व्यवस्था

क्षतिग्रस्त महिलाओं को कानूनी सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से अपराधी के लिए उचित दण्ड की व्यवस्था की जानी चाहिए साथ ही इसकी अनुपालना सुनिश्चित की जाए।

सामाजिक परामर्शदाता की व्यवस्था

सामाजिक समस्याओं के समाधान हेतु सामाजिक परामर्शदाता की व्यवस्था की जानी चाहिए।

मनोवृत्ति में परिवर्तन

सामाजिक पितृसत्ता रूपी विचारधरा में परिवर्तन करना चाहिए। जब तक सामाजिक रूप से यह वैचारिक परिवर्तन नहीं आयेगा कोई भी योजना पूर्णरूपेण क्रियान्वित किया जाना कठिन कार्य होगा।

निष्कर्ष

किसी भी घटना में ही उसके कारण छिपे होते हैं आवश्यकता बस इस बात की है हमारी दृष्टि उस पर पड़े। महिलाओं को चाहिए कि वे अपराध का पुरजोर विरोध करें, अपने खिलाफ दमन व अत्याचार के संदर्भ में जागरूक हों, कानून व न्यायालय से मदद की गुहार करें, उन्हें निडर होना चाहिए तभी वे दृढ़ता के साथ अपने विरुद्ध होने वाले अपराध का विरोध कर सकती हैं। साथ

ही पुरुषों को भी चाहिए कि वे महिलाओं के साथ मिलकर समाधान खोजे तो इन अपराधों में कमी की जा सकती है।

सन्दर्भ

1. रावत, हरिकृष्ण: 2011, उच्चतर समाजशास्त्र विश्वकोश, रावत पब्लिकेशन, नई दिल्ली, पृ. 82
2. गाँधी, नन्दिता, शाह, नन्दिता: द इश्यू एट स्टेट, थ्योरी एण्ड प्रेक्टिस इन कन्टम्प्रेरी ब्रूमन्स इन इण्डिया, पृ. 32-33
3. पाण्डे, मृणाल : स्त्री देह की राजनीति से देश की राजनीति तक, पृ. 54

4. शर्मा, गुप्ता : 2012 भारतीय सामाजिक समस्याएँ, साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा,(उ.प्र.)
5. वर्मा, भावना एवं दीक्षित, ध्रुव कुमार: 2010, घरेलू हिंसा:समस्या और समाधान,असन प्रकाशन,सागर,(म.प्र.)
6. भारत में अपराध, 2010,
7. भारत में अपराध, 2011
8. भारत में अपराध, 2012
9. भारत में अपराध, 2013
10. भारत में अपराध, 2014